राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : डीडी/राईस/सोलर लाईट/सान्याअवि/2016–17/ 472   जयपुर दिनांक 20/6/22

आदेश

विभाग द्वारा संचालित 17 आवासीय विद्यालयों एवम् 200 राजकीय छात्रावासों में सोलर होम लाईटिंग सिस्टम की आपूर्ति हेतु **Rajasthan renewable energy corporation Ltd.** (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) की दर संविदा क्रमांक **F7( )RREC/24X7PFA&MMGVY/15-16/07/D-4326 dated 2-12-2016** के अनुसरण में आपूर्ति हेतु आदेश कमांक 7613 दिनांक 14.03.2017 एवं आदेश कमांक 72902 दिनांक 1.11.2017 फर्म मैसर्स कामधेनु एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं. 22 गांव जैसल्या वी.के.आई. रोड नं. 17, कैलाश कैन्टीन के पास, जयपुर को जारी किये गये थे।

Rajasthan renewable energy corporation Ltd. (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) की निविदा के Annexure(2) (i) के अनुसार दर संविदा बिन्दु संख्या 2 (1) में वर्णित आईटम के तकनीकी स्पेशिफिकेशन के Noteके अनुसार **Presently,bidders can submit test certificates of individual components proposed/offered for supply under this programme but test report of complete system from MNRE authorized test house should be furnished before supply of material in the field.**का प्रावधान है लेकिन आपके द्वारा आपूर्ति के समय टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

आप द्वारा दिनांक 12.9.2018 को राशि रू. 100 के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टॉम्प पेपर पर आपूर्ति एवम स्थापित किये गये सिस्टम का मान्यता प्राप्त वैधशाला से **Testing** कराने का विनिश्चय किये जाने एवम् Testing के दौरान आपूर्ति व स्थापित किये गये सैम्पल **failure** अथवा उपयुक्त नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा फर्म को किये भुगतान की वसूली फर्म से किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

विभागीय पत्र क्रमांक डीडी/राईस/सोलर लाईट/सान्याअवि/2016–17/2677 दिनांक 28.11.2018 द्वारा **Rajasthan renewable energy corporation Ltd.**(राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड) की दर संविदा में सोलर होमलाईटिंग सिस्टम के तकनीकी स्पेशिफिकेशनों का उल्लेख करते हुये सैम्पल टेस्टिंग हेतु राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम फरीदाबाद, हरियाणा को प्रेषित किये गये। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्टस एवं विभागीय पत्र क्रमांक डीडी/राईस/सोलर लाईट/सान्याअवि/2019/5024 दिनांक 29.8.2019 के संदर्भ में **NISE**से प्राप्त पत्र दिनांक 18.9.2019 में आपूर्ति एवं स्थापित सोलर होमलाईटिंग सिस्टम को पूर्णतः असफल (Completely Fail) घोषित किया गया है।

विभागीय पत्र क्रमांक डीडी/राईस/सोलर लाईट/सान्याअवि/2016–17/457 दिनांक 15.6.2022 द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित किये गये सोलर होम लाईट सिस्टम को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाने के संबंध में अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया लेकिन आपके पत्र क्रमांक 104/2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/जवाब अतार्किक एवं तथ्य–आधारित नहीं होने से विभाग को स्वीकार नहीं है।

Rajasthan renewable energy corporation Ltd.(राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड)की दर संविदा क्रमांक **F7( )RREC/24X7PFA&MMGVY/15-16/07/D-4326 dated 2-12-2016**के बिन्दु संख्या 10 तथा विभागीय आदेश कमांक 7613 दिनांक 14.03.2017 एवं आदेश कमांक 72902 दिनांक01.11.2017 में आपूर्ति एवं स्थापित की गई सोलर होम लाईट सिस्टम के रख–रखाव के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है

निरन्तर –

:—The firm is responsible to provide comprehensive maintenance of systems upto 5 years from date of installation and commissioning of system which includes replacement of parts free of cost.

आपके पत्रांक 104/2022 दिनांक 17.6.2022 के अनुसार आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में स्थापित की गई 8626 सोलर होम लाईट सिस्टम में से 4000 कार्यशील है, जो कुल स्थापित की गई सोलर होम लाईट सिस्टम का लगभग 46 प्रतिशत है अर्थात लगभग 54 प्रतिशत होम लाईट सिस्टम अकार्यशील है।प्रावधान अनुसार सोलर होम लाईट सिस्टममें हुई टूट–फूट के लिये आवश्यक सामग्री/सामान की आपूर्ति आपके द्वारा ही निःशुल्क की जानी चाहिये थी। सोलर होम लाईट सिस्टम को कार्यशील रखने के लिये समय पर रख–रखाव नहीं करना Rajasthan **renewable energy corporation Ltd.**(राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) की दर संविदा एवं विभागीय आपूर्ति आदेशो के दिशा–निर्देश/ शर्तो का उल्लघन है।

आप द्वारा Rajasthan **renewable energy corporation Ltd.**(राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड) की दर संविदा तकनीकी स्पेशिफिकेशन (निविदा के Annexure(2) (i)) के अनुसार सोलर होम लाईट सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना से पूर्व टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना एवं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरूग्राम फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट में सोलर होमलाईटिंग सिस्टम को पूर्णतः असफल (Completely Fail) घोषित किया जाना,आपूर्ति किये गये सोलर होमलाईटिंग सिस्टम का रख–रखाव समय पर नहीं किया जाना दर संविदा की शर्तों, विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः फर्म मैसर्स कामधेनु एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं. 22 गांव जैसल्या वी.के. आई. रोड नं. 17, कैलाश कैन्टीन के पास, जयपुरको विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेश कमांक 7613 दिनांक 14.03.2017 एवं आदेश कमांक 72902 दिनांक 1.11.2017 के विरूद्व शेष राशि 208.00 लाख एवं जमा सुरक्षा राशि रू 15.40 लाख कुल राशि 223.40 लाख को जब्त किया जाता है एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 46 के तहत 3 वर्ष हेतु फर्म मैसर्स कामधेनु एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं. 22 गांव जैसल्या वी.के.आई. रोड नं. 17, कैलाश कैन्टीन के पास, जयपुर को राज्य सरकार के विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से डिबार (**Debbar**) किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

डीडी/राईस/सोलर लाईट/सान्याअवि/2016–17/473-84 जयपुर दिनांक 20/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यालय।
11. मैसर्स कामधेनु एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं.22 गांव जैसल्या वी.के.आई. रोड नं. 17, कैलाश कैन्टीन के पास, जयपुर
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (B)( )राईस/सोलर हीटर/2017/ 498 जयपुर दिनांक 20/6/22

आदेश

विभाग द्वारा संचालित 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर वाटर हीटर सिस्टम की आपूर्ति हेतु डी. जी.एस. एंड डी. दर संविदा क्रमांक SWHS/HYD-2/RC-D3060000/0317/12/ 04562/085 dated 09.05.2016 के अनुसरण में आईटम संख्या 18 की आपूर्ति हेतु आदेश क्रमांक 77710 दिनांक 09.12.2016 एवं स्थापना हेतु आदेश कमांक 7521 दिनांक 10.03.2017 फर्म **M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka-560068** को जारी किये गये थे।

M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka एवम् **M/s Nilloy Newsun Technologies A-2,Kailashpuri-A, sanganer road, sodala ,Jaipur**के मध्य दिनांक 15.3.2017 को राशि रू. 50/–के ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार **M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka**को जारी किये गये क्रयादेशों की आपूर्ति, स्थापना ,आपूर्ति पश्चात अनुरक्षण **(After sale service)** एवम् आपूतिहई के विरूद्ध भुगतान प्राप्त करने का दायित्व आपके द्वारा लिया गया है।

M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka द्वारा आपूर्ति किये गये सोलर वाटर हीटर सिस्टम द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार कार्य नहीं करने अथवा अकार्यशील होने पर विभागीय पत्र क्रमांक 2892–93 दिनांक 21.12.2018, 4855–58 दिनांक 05.08.2019, 6522–23 दिनांक 20.12.2019, 9264–66 दिनांक 06.11.2020, 9389–91 दिनांक 02.12.2020, 9484–86दिनांक 18.12.2020, कमांक 21–23 दिनांक 08.01.2021 , 1148–49 दिनांक 16.8.2021 एवं 1380–81 दिनांक17.01.2022 द्वारा लिखा गया लेकिन विभागीय पत्रों के संबंध में आप द्वारा कोई प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया गया तथा न ही अकार्यशील सोलर वाटर हीटर सिस्टम को दुरूस्त/ठीक किया गया।

विभागीय पत्रांक एफ1(B)( )राईस/सोलर हीटर/2017/Spl-1 दिनांक 15.6.2022 द्वारा फर्म को स्पष्टीकरण /प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने एवं भुगतान योग्य देय राशि को जब्त करने के लिये नोटिस जारी किया गया लेकिन निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

फर्म द्वारा अकार्यशील/खराब सोलर वाटर हीटर सिस्टम को दुरूस्त/ठीक नहीं करना दर संविदा की शर्तो , विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों के दिशा निर्देशों एवम् **M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka** के साथ निष्पादित अनुबन्ध में तय दायित्वों का उल्लंघन है। अतः फर्म **M/s Nilloy Newsun Technologies 1-2,Kailashpuri-A, sanganer road, sodala ,Jaipur**को विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेश क्रमांक 77710 दिनांक 09.12.2016 एवं स्थापना हेतु जारी आदेश कमांक 7521 दिनांक 10.03.2017 के विरूद्व शेष राशि रू. 90.00 लाख को जब्त किया जाता है एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 46 के तहत 3 वर्ष हेतु फर्म **M/s Nilloy Newsun Technologies A-2,Kailashpuri-A,**

sanganer road, sodala ,Jaipur को राज्य सरकार के विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से डिबार (**Debbar**) किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1 (B)( )राईस/सोलर हीटर/2017/499-510 जयपुर दिनांक 20/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यालय।
11. **M/s Nilloy Newsun TechnologiesA-1-2,Kailashpuri-A, sanganer road, sodala ,Jaipur**
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1 (8)( )राईस/सोलर हीटर/2017/ 485 जयपुर दिनांक 20/6/22

आदेश

विभाग द्वारा संचालित 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर वाटर हीटर सिस्टम की आपूर्ति हेतु डी.जी.एस. एंड डी. दर संविदा क्रमांक SWHS/HYD-2/RC-D3060000/0317/12/ 04562/085 dated 09.05.2016 के अनुसरण में आईटम संख्या 18 की आपूर्ति हेतु आदेश कमांक 77710 दिनांक 09.12.2016 एवं स्थापना हेतु आदेश कमांक 7521 दिनांक 10.03.2017 फर्म M/s Rashmi Industries, 60&61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka-560068 को जारी किये गये थे। आपके द्वारा आपूर्ति किये गये सोलर वाटर हीटर सिस्टम द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा अकार्यशील होने पर विभागीय पत्र क्रमांक 2891 दिनांक 21.12.2018, 4854 दिनांक 05.08.2019, 6522–23 दिनांक 20.12.2019, 9263 दिनांक 06.11.2020, 9388 दिनांक 02.12.2020, 9483 दिनांक 18.12.2020 ,कमांक 21 दिनांक 08.01.2021,1147 दिनांक 16.8.21 एवं 1379 दिनांक 17.01.2022 द्वारा लिखा गया लेकिन विभागीय पत्रों के संबंध में फर्म द्वारा कोई प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया गया तथा न हीं अकार्यशील सोलर वाटर हीटर सिस्टम को दुरूस्त/ठीक किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 2756 दिनांक 05.12.2018 एवं 2755 दिनांक 05.12.2018 द्वारा सोलर वाटर हीटर सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना के क्रम में अनुबंध का निष्पादन करने एवं नियमानुसार क्रमशः 5 प्रतिशत (रू 14,44,214/–) एवं 10 प्रतिशत (रू 14,30,000/–) की दर से राशि रू 28,74,214/– की सुरक्षा राशि (Performance security) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जमा कराने हेतु लिखा गया किंतु फर्म द्वारा आदिनांक तक अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया है एवं सुरक्षा राशि (Performance security) भी जमा नहीं करवाई गई है।

विभागीय पत्रांक एफ1(B)( )राईस/सोलर हीटर/2017/456 दिनांक 15.6.2022 द्वारा फर्म को स्पष्टीकरण /प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने एवं भुगतान योग्य देय राशि को जब्त करने के लिये नोटिस जारी किया गया लेकिन निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

फर्म द्वारा अकार्यशील/खराब सोलर वाटर हीटर सिस्टम को दुरूस्त/ठीक नहीं करना, अनुबंध का निष्पादन नहीं करना तथा नियमानुसार सुरक्षा राशि (Performance security) जमा नहीं करवाना दर संविदा की शर्तो एवं विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। अतः फर्म **M/s Rashmi Industries, 60&61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka** को विभाग द्वारा जारी आपूर्ति आदेश कमांक 77710 दिनांक 09.12.2016 एवं स्थापना हेतु जारी आदेश कमांक 7521 दिनांक 10.03.2017 के विरूद्व शेष राशि रू 90.00 लाख को जब्त किया जाता है एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 46 के तहत 3 वर्ष हेतु फर्म **M/s Rashmi Industries, 60&61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka-560068** को राज्य सरकार के विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से डिबार (**Debbar**) किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1 (B)( )राईस/सोलर हीटर/2017/ 486-97 जयपुर दिनांक 20/6/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, समस्त
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यालय।
11. M/s Rashmi Industries, 60-61, Hongasandia, Begur Road, Banglore, Karnataka-560068
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव